तमिलनाडु राज्य में डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (डीएसएफ) गतिविधियां

Posted On: 27 FEB 2017 12:50PM by PIB Delhi

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (डीएसएफ) बोली चक्र 2016 के हिस्से के रूप में 31 अनुबंध क्षेत्रों को मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों का डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड 2015 के रूप में छोटे क्षेत्रों के लिए नई नीति के तहत प्रस्ताव किया गया है। इस नीति में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाकर देश की आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वित्तीय रूप से सुधार लाने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों का प्रस्ताव खुली और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। यह बोली राष्ट्रीय तेल कंपनी (ओएनजीसी और ओआईएल) तथा अन्य केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य सभी प्रतिभागियों के लिए खुली थी।

वर्तमान में, तिमलनाडु में उत्पादन भागीदारी करार प्रणाली के तहत 03 परिचालन अन्वेषण ब्लॉक (लगभग 1461 वर्ग किलोमीटर) हैं, जहां हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का कार्य चल रहा है। नामांकन व्यवस्था के तहत, राज्य में 31 खनन पट्टे (लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर) दिए गए हैं, जहां प्रतिदिन 600 टन तेल और 30 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। अभी तक तिमलनाडु में तेल और गैस के उत्खनन के लिए 700 से अधिक कुओं की खुदाई की जा चुकी है। इन सिक्रय संचालनों से आसपास के क्षेत्रों में कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा परिचालन क्षेत्र के प्राणियों पर पर्यावरणीय संबंधी प्रभाव या स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा भी पैदा नहीं हो रही है।

डीएसएफ बोली चक्र के तहत दिए गए दो अनुबंध क्षेत्र, कराईकल (10.4 वर्ग किलोमीटर) पुडुचेरी और नेदूवासल (10.0 वर्ग किलोमीटर) तमिलनाडु में स्थित हैं और इनमें 4,30,000 मीट्रिक टन तेल और तेल समतुल्य गैस की मात्रा मौजूद है।

पिछले सप्ताहों के दौरान इन तेल और गैस क्षेत्रों में की जाने वाली प्रस्तावित ई एडं पी गतिविधियों से कृषि, मिट्टी की स्थिति, भूजल तालिका में प्रदूषण और मीथेन उत्पादन के प्रभाव के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थीं।

उप सतह से तेल और गैस निकासी करने की सुस्थापित प्रक्रिया है और ई एंड पी उद्योग परिचालनों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव का अधिक से अधिक ख्याल रखता है। ऑपरेटर्स खुदाई संबंधी या अन्य गतिविधियां करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करते हैं। खुदाई और निकासी की प्रक्रिया में बहुत कम भूमि के सतह क्षेत्र (आम तौर पर 120x120 वर्ग मीटर) का उपयोग किया जाता है जिससे कृषि या पूरे पट्टा क्षेत्र की मिट्टी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ऑपरेटरों को परिचालन भूमि का उपयोग करने के लिए कड़े पर्यावरण मानदंड़ों का अनुपालन करना आवश्यक है।

तेल और गैस निकासी का कार्य गहरे भूमि में अधिक गहराई पर (आम तौर पर 1000 मी अधिक से गहराई) किया जाता है और इससे भूजल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह कहीं अधिक ऊपर के स्तर पर होता है। विश्व में हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण विधि का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे खनन क्षेत्र के जल संसाधनों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं देखा गया है। तेल एवं गैस की खुदाई के लिए सीमेंट आवरण प्रयोग किया जाता है जिससे भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक मीधेन को पीएनजी के रूप में पूरी दुनिया में घर के ईधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आसपास के क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के बारे में व्यक्त की जा रही चिंताएं भी भ्रम फैलाने वाली हैं क्योंकि सभी पेट्रोलियम संबंधी परिचालनों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी पहले ही लिया जाना आवश्यक है जिसके लिए ऐसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन एक अभिन्न हिस्सा है। इन दो अनुबंध क्षेत्रों से 300 करोड़ रूपये का कुल राजस्व सृजित होने, राज्य सरकार को 40 करोड़ रूपये की रॉयल्टी मिलने तथा 500 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार जुटाए जाने का अनुमान है।

वीके/आईपीएस/सीएस - 534

(Release ID: 1483347) Visitor Counter: 7

f







in